न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 151 / 2022

1 सरबती देवी उम्र 50 साल पत्नी स्व. प्रेमसिंह जाति जाट निवासी ग्राम धनूरी तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू राज.।
2 राजेश कुमार उम्र 28 साल पुत्र स्व. प्रेमसिंह जाति जाट निवासी ग्राम धनूरी तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू राज.।
3 मुकेश कुमारी उम्र 26 साल पुत्री स्व. प्रेमसिंह जाति जाट निवासी ग्राम धनूरी तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू राज.।
4 जयसिंह उम्र 45 साल पुत्र स्व. रामसुख जाति जाट निवासी ग्राम धनूरी तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 सन्तोष देवी उम्र 55 साल पुत्री स्व. रामसुख पत्नी देवकरण जाति जाट निवासी ग्राम धनूरी तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू राज.। हाल निवासी भूतिया का बास तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू राज.।
2 राकेश उम्र 30 साल पुत्र स्व. प्रेमसिंह जाति जाट निवासी ग्राम धनूरी तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू राज.।
3 सम्पती देवी उम्र 50 साल पुत्री स्व. सुरजी देवी पत्नी श्योदान सिंह जाति जाट निवासी ग्राम धनूरी तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू राज.। हाल निवासी खींवासर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।
4 दुर्गी देवी उम्र 55 साल पुत्री स्व. भानी देवी व बीरबल राम पत्नी जगदीश जाति जाट निवासी ग्राम धनूरी तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू राज.। हाल निवासी केहरपुरा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

5 उर्मीला उम्र 52 साल पुत्री स्व. भानी देवी व बीरबल राम पत्नी राजेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी ग्राम धनूरी तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू राज.। हाल निवासी केहरपुरा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।

6 सुलोचना उम्र 42 साल पुत्री स्व. भानी देवी व बीरबलराम पत्नी सुरेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी ग्राम धनूरी तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू राज.। हाल निवासी बाकरा तहसील व जिला झुन्झुनू राज.।

7 राजेन्द्र उम्र 50 साल पुत्र स्व. भानी देवी व बीरबलराम जाति जाट निवासी ग्राम धनूरी तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू राज.। हाल निवासी रामपुरा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू राज.।

8 शिशराम उम्र 48 साल पुत्र स्व. भानी देवी व बीरबलराम जाति जाट निवासी ग्राम धनूरी तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू राज.। हाल निवासी रामपुरा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू राज.।

9 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर जिला झुन्झुनू राज.।

10 प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा अलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर बउनवानी प्रकरण सरबती वगै. बनाम
संतोष वगै. दावा बाबत घोषणा रिकार्ड दुरूस्ती
व स्थाई निषेधाज्ञा मु.नं. 88 / 2020 ता फैसला
दिनांक 20.09.2022

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री राजेश कुमार सुण्डा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री सुरेन्द्र फोगाट, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 30.9.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर द्वारा मुकदमा नम्बर 88/2020 में पारित निर्णय दिनांक 20.09.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी/अपीलांटस ने एक वाद घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि हाल खसरा नम्बर 737, 738, 741 वाके ग्राम धनूरी तहसील मलसीसर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी आदेश 07 नियम 11 के तहत खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट का दावा इस आधार पर खारिज किया है कि अपीलान्ट ने कोई गोदनामा पेश नहीं किया है जबकि अपीलान्ट ने दावा सनद के आधार पर लेकर आये है तथा आया रामसुख लालाराम का दत्तक पुत्र है या नही यह तो साक्ष्य में तय होना था प्राथमिक स्टेज पर इस आधार पर वाद पत्र निरस्त नहीं किया जा सकता। अपीलान्ट ने अपने दावा के मद संख्या 4

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

मूप्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

में वर्णित किया है कि अपीलान्ट के पूर्वज रामसुख ने सनद को अन्तिम दस्तावेज मानकर अपने पास रख लिया यह तथ्य दावा में मेरीट पर बाद साक्ष्य तय होता कि सनद के आधार पर वादग्रस्त भूमि अपीलान्ट के खातेदारी में दर्ज होने लायक है या नहीं। अपीलान्ट ने स्व रामसुख को लालाराम के गोद जाना बताया है तथा स्व. रामसुख 3 साल की उम्र में लालाराम के गोद चला गया था, इस बात को भी साबित करने का भार अपीलान्ट पर था जो दौराने साक्ष्य अपीलान्ट मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य से साबित करते उक्त तथ्य भी साक्ष्य के बाद मेरीट पर ही तय होना था परन्तु विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर गोर नहीं किया। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में दर्ज किया है कि स्व. रामसुख ने अपने जैविक पिता से भूमि विरासत में प्राप्त की है यह तथ्य भी साक्ष्य में साबित होता कि वास्तव में स्व. रामसुख के वारीसान रामसुख के जैविक भूमि पर काबिज है या वादग्रस्त भूमि पर उक्त रिकार्ड गलत है या सही है यह तथ्य भी साक्ष्य में ही तय किया जाता परन्तु विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर भी कोई गोर नहीं किया। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में लिखा है कि वादीगण वादकारण साबित करने में असफल रहे है जबकि अपीलान्ट ने अपने दावा के पैरा सख्या 7 व 8 में स्पष्ट रूप से वादकारण लिखा है व उक्त तथ्य को साबित करने का भार वादीगण/अपीलान्ट पर था जो दौराने साक्ष्य साबित करते परन्तु विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर कोई गोर नहीं किया। आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा.दी. को तय करते समय न्यायालय को केवल मात्र वाद पत्र में लिये गये कथनों पर ही गौर करना होता है प्रतिवादी द्वारा उठाई गई आपत्तियों को कोर्ट इस प्रकार के आवेदन पत्र को निस्तारित करते समय नहीं देखेगी। दावा में कोई वादकारण दर्ज नहीं किया हो ऐसा नहीं है वादीगण ने स्पष्ट रूप से वाद कारण दर्ज किया है तथा जिस दस्तावेज के आधार पर दावा लाया गया है वह सरकार द्वारा जारी किया गया दस्तावेज है जो दावा के निस्तारण के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो साक्ष्य में प्रदर्शित होकर बाद प्रतिपरीक्षण दावा मेरिट पर तय होना चाहिये था परन्तु विचारण न्यायालय ने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

इस तथ्य पर कोई गोर नहीं किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 7 व 8 ने विचारण न्यायालय के समक्ष दान पत्र की प्रति पेश की थी उस दान पत्र का विवाद ग्रस्त भूमि से कोई लेना देना नहीं तथाकथित दान पत्र भूमि खसरा नम्बर 134 रकबा 12 बीघा 8 बिस्वा भूमि का है जबकि दावा में वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 365 है तथा सनद भी उक्त भूमि का है ऐसी स्थिति में दान पत्र का वादग्रस्त भूमि से कोई संबंध नहीं है। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गोर नहीं किया कि जब स्व. भानी देवी स्व. लाला राम की विधिक वारिस थी तो उसे दान पत्र निष्पादित करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी फिर भी विचारण न्यायालय ने उक्त दस्तावेज पर गोर कर विवादित निर्णय पारित कर दिया। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अतः अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2020(3) पेज 2075, आरएलडब्ल्यू 2019(3) राज पेज 2391, आरएलडब्ल्यू 2018(3) राज पेज 2097, आरएलडब्ल्यू 2017(2) पेज 1023, आरएलडब्ल्यू 2013(4) पेज 3046, आरएलडब्ल्यू 2012(4) पेज 3371 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि वादीगण के ग्राम धनूरी स्थित भूमि गत खसरा नम्बर 365 रकबा 7 बीघा 5 बिश्वा हाल खसरा नम्बर 741 रकबा 1.83 हैक्टेयर भूमि बाबत दावा प्रस्तुत किया है उक्त भूमि का पहले खातेदार लालाराम पुत्र सेवा जाति जाट था। लालाराम की मृत्यु के उपरांत उक्त भूमि जरिये नामान्तकरण संख्या 370 भानी पुत्री लालाराम स्त्री बीरबलराम को प्राप्त हुई। भानी देवी के तीन पुत्रियां प्रतिवादीया संख्या 4 लगायत 6 व दो पुत्र प्रतिवादी संख्या 7 व 8 पैदा हुये। भानी देवी की मृत्यु उपरांत उक्त भूमि जरिये नामान्तकरण संख्या 715 दिनांक 06.05.2020 से उत्तराधिकार में बहिस्सा बराबर प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 8 को प्राप्त हुई। भानी देवी की पुत्रियां प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 6 ने अपने हिस्से की 3/5 हिस्सा भूमि का हक त्याग बराबर प्रतिवादी नम्बर 7 व 8 के हक में कर दिया

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

जिसका नामान्तकरण संख्या 729 दिनांक 07.07.2020 दर्ज हुआ। इस प्रकार उक्त जमीन में प्रतिवादी संख्या 7 व 8 प्रत्येक 1/2 हक हिस्से के सहखातेदार हुए एवं इस मुताबिक काबिज काश्त है। रामसुख कभी लालाराम के गोद का पुत्र नही रहा। लालाराम ने रामसुख्या को कभी गोद नही लिया ना ही रामसुख के हक में ऐसा गोदपत्र है। लालाराम अपनी पुत्री भानी के साथ रहा एवं अपनी पुत्री भानी के हक में दान पत्र किया। अगर रामसुख लालाराम का दत्तक पुत्र होता तो दान पत्र बहक भानी देवी में ऐसा नही लिखा होता। रामसुख के पिता पूर्णाराम की खातेदारी भूमि ग्राम धनूरी में स्थित है पूर्णाराम के देहान्त होने के बाद रामसुख्या ने उत्तराधिकार में अपने पिता से जमीन प्राप्त की है। विवादित भूमि की खातेदारी धारा 19 के तहत नामान्तकरण संख्या 208 दिनांक 14.06.1962 से लालाराम पुत्र सेवाराम को दर्ज किया गया है। भानी देवी के नाम दर्ज नामान्तकरण को वादीगण द्वारा आदिनांक तक चुनौती नही दी गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज करने में कोई त्रुटि नही की गई है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि नामान्तकरण संख्या 729 दिनांक 07.07.2020 दर्ज हुआ। इस प्रकार उक्त जमीन में प्रतिवादी संख्या 7 व 8 प्रत्येक 1/2 हक हिस्से के सहखातेदार हुए एवं इस मुताबिक काबिज काश्त है। रामसुख कभी लालाराम के गोद का पुत्र नही रहा। लालाराम ने रामसुख्या को कभी गोद नही लिया ना ही रामसुख के हक में ऐसा गोदपत्र है। लालाराम अपनी पुत्री भानी के साथ रहा एवं अपनी पुत्री भानी के हक में दान पत्र किया। अगर रामसुख लालाराम का दत्तक पुत्र होता तो दान पत्र बहक भानी देवी में ऐसा नही लिखा होता। रामसुख के पिता पूर्णाराम की खातेदारी भूमि ग्राम धनूरी में स्थित है पूर्णाराम के देहान्त होने के बाद रामसुख्या ने उत्तराधिकार में अपने पिता से जमीन प्राप्त की है। विवादित भूमि की खातेदारी धारा 19 के तहत नामान्तकरण संख्या 208 दिनांक 14.06.1962 से लालाराम पुत्र सेवाराम को दर्ज किया गया है। भानी देवी के नाम दर्ज नामान्तकरण को वादीगण द्वारा आदिनांक तक चुनौती नही दी गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज करने में कोई त्रुटि नही की गई है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नही पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 30.9.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर